तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

9.01.2022

पत्रावली पेश हुई।
बकुलाय फरीकेन उपस्थित।
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 3 (प्रार्थी) की बहस है कि मौजा करमावास तहसील समदडी अवस्थित खसरा संख्या 77 रकबा 69–17 बीघा एवं खसरा संख्या 78 रकबा 0–09 बीघा कुल रकबा 70–06 बीघा भूमि के वक्त बन्दोबस्त के खातेदार राणाराम पुत्र मोडाजी ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व मोहनराम को जरिये रजिस्ट्री बेचान की थी। दिनांक 24.10.1972 को तहसीलदार सिवाना के समक्ष समस्त खातेदारान ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया था। उक्त सहमति विभाजन के आधार पर नवसृजित खसरा संख्या 680/77 रकबा 34–18 बीघा भूमि वादीगण के एवं खसरा संख्या 681/77 रकबा 34–18 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। दोनो पक्ष माफिक राजस्व रिकार्ड एवं लट्ठा नक्शा अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण अपने उक्त वाद के जरिये तहसीलदार समदड़ी के सहमति विभाजन बंटवाड़े पर पारित आदेश को निरस्त करवाना चाहते हैं। जबकि तहसीलदार के पारित विधिक आदेश को श्रीमान जिला कलक्टर अथवा अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय–जिसका भी क्षेत्राधिकार हो–के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार प्रकरण की विषयवस्तु इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं होने से वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज किया जावे।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थीगण (वादीगण) की बहस है कि विभाजन में वादीगण के कब्जाकाश्त की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की भूमि वादीगण के नाम कर दी गई हैं। उनके द्वारा वाद बंटवाडा निरस्त हेतु नहीं, बल्कि केवल रिकार्ड दुरूस्ती हेतु लाया गया हैं, ताकि मौकास्थिति एवं नक्शा स्थिति में एकरूपता आ सके तथा भविष्य में विवाद होने की स्थिति नहीं पैदा हो। इस प्रकार प्रकरण स्पष्ट रूप से श्रीमान के क्षेत्राधिकार का है। अतः प्रकरण में तनकियात कायम कर विधिवत सुनवाई के बाद गुणावगुण के आधार पर वाद का निस्तारण किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी गलत तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र, जवाब, प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। वादी ने ग्राम करमावास के खसरा संख्या 680/77 एवं 681/77 की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को अवैध बताकर निरस्त करते हुए एवं नक्शे में तरमीम पूर्व की स्थिति बहाल कर बंटवाड़ा किये जाने की इस्तदुआ चाही है। विभाजन बंटवाड़ा के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 07.10.1972 को मूल खसरा संख्या 77 के तत्कालीन खातेदारान, जिनमें वादीगण के पूर्व पुरूष राणाराम शामिल थे और जिनकी हस्ताक्षरयुक्त स्वीकृति से वादीगण भी आबद्ध (stopped) है, ने आपसी सहमति से उक्त भूमि का तहसीलदार सिवाना से विभाजन करवाया था और तहसीलदार सिवाना के उसी आदेश के आधार पर लट्ठा नक्शा में तरमीम हुई थी। उक्त प्रकरण इसी सूरत में उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होता, ज[illegible] नक्शा में तरमीम तहसीलदार सिवाना के विभाजन आदेशों से [illegible] और वादी धारा 131–136 आरएलआर एक्ट के प्रावधानों के तहत [illegible] हेतु चाराजोही करने की पात्रता रखते किन्तु तहसीलदार सिवाना के विभाजन आदेश में खातेदारान की कब्जास्थिति अनुसार उल्लेखित दिशाओं एवं बाद में दिनांक 27.10.2017 को निरीक्षक भू. अभिलेख समदड़ी द्वारा तैयार फर्द मौका जॉच के अवलोकन से स्पष्ट है कि लट्ठा नक्शा मे तरमीम तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित विभाजन आदेशों के अनुसार ही की गई हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि वादीगण की असंतुष्टि तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित आदेशों से ही है और तहसीलदार के आदेशों को चुनौती केवल जिला कलक्टर या अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय–जिसका भी वह तहसील

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:46:24 IST
Reason: SelfAttested

क्षेत्र हो–के समक्ष ही पेश की जा सकती है। उक्त विवेचन से यह भलीभांति स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं हैं।

लिहाजा प्रतिवादी संख्या 3 का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार विहीनता के आधार पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 9.01.022 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:46:24 IST
Reason: SelfAttested